इकाई 13 गांधीवादी उपागम

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना

13.2 शान्ति के गांधीवादी उपागम का आधार

13.2.1 सत्याग्रह

13.2.2 अहिंसा

13.3 युद्ध के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण

13.4 गांधी की शान्ति विषयक सोच

13.5 शान्ति के गांधीवादी उपागम के मुख्य तत्व

13.5.1 व्यक्ति तथा उसकी मनोवृत्ति पर बल

13.5.2 एक नवीन जीवन शैली एवं संस्कृति की आवश्यकता

13.5.3 नैतिक समाधान की खोज

13.5.4 राष्ट्रवाद के साथ मानवतावाद को जोड़ना

13.5.5 अहिंसावादी राज्यों के लिए 6-सूत्री कार्यक्रम

13.5.6 निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन

13.5.7 परमाणु अस्त्रों के विरुद्ध संघर्ष

13.5.8 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व संघ

13.5.9 अहिंसावादी सेना तथा शान्ति सेना

13.5.10 आक्रमणकारी के साथ असहयोग

13.5.11 पारिस्थितिकी मामलों का संबोधन

13.5.12 विकास प्रतिमान में सुधार

13.5.13 आंतरिक मतभेदों को शान्त करना

13.5.14 आर्थिक शोषण का अन्त

13.5.15 शान्ति प्रक्रिया में जन-भागीदारी

13.6 शान्ति के गांधीवादी उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन

13.7 सारांश

13.8 अभ्यास प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

महात्मा गांधी (1869-1948) की गणना मानव इतिहास की महानतम विभूतियों में होती है। गांधी के व्यक्तित्व एवं योगदान के अनेक पहलू हैं - एक विशिष्ट जन नेता, समाज-सुधारक, शान्तिवादी और सबसे बढ़कर सत्य तथा अहिंसा का एक मसीहा। गांधीजी अहिंसा, शान्ति, भाईचारा तथा सहिष्णुता के लिए जिए, संघर्ष किया तथा इन्हीं आदर्शों के लिए अपना जीवन भी दे दिया। उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, हड़ताल आदि नवीन तकनीक अपनाईं तथा राजनीतिक गतिशीलता/संघटन की अवधारणा में नए आयाम जोड़ दिए।

यद्यपि गांधीजी के समाज तथा राजनीति पर विचारों से सभी भली-भाँति परिचित हैं, परन्तु शान्ति तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचार क्या थे - इसकी जानकारी व्यापक नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि गांधीजी ने विश्व राजनीति पर ज्यादा रुचि नहीं रखी क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के संचालन तथा भारतीय समाज व ग्रामीण समस्याओं के समाधान में व्यस्त रहे। परन्तु यह एक भ्रमित विचार है। गांधीजी ने विश्व राजनीति की कभी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रायः अपने विचार अभिव्यक्त किए, तथा नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट एवं विलक्षण परिकल्पना भी की। सत्य तो यह है कि गांधीजी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की कल्पना तथा संचालन एक विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में ही किया।

फिर भी, गांधी कोई सिद्धान्तशास्त्री या एक व्यवस्थित लेखक नहीं थे। उन्होंने अपने द्वारा व्यक्त अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों को विस्तार से नहीं समझाया और न ही कोई शान्ति का विशिष्ट सिद्धान्त ही दिया। युद्ध तथा शान्ति पर उनके विचार उनके लेखों तथा विभिन्न व्यक्तियों को दी गई टिप्पणियों में दिखाई देते हैं। हालांकि विषयक असंगति के कारण इन लेखों में से एक व्यवस्थित सिद्धान्त की संरचना करना बहुत कठिन है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनके समग्र विचारों में अंतर-राज्यीय हिंसा के कारण तथा समाधान पर एक विशिष्ट उपागम की अभिव्यक्ति होती है। गांधी जी की शान्ति की सोच/परिकल्पना (vision) विभिन्न दर्शनग्राही है, जोकि अनेक स्रोत तथा परम्पराओं से ली गई है। यह शान्तिवादी तथा अराजकतावादी दोनों से ही प्रभावित है, विशेषकर रूसी लेखक लिओ टॉलस्टाय तथा अमेरिकी अराजकतावादी हैनरी थोरिओ, तथा हिन्दूवाद, जैन तथा ईसाई दार्शनिक परम्पराओं से। निम्नलिखित भागों में शान्ति के गांधीवादी उपागम के मुख्य विचारों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।

13.2 शान्ति के गांधीवादी उपागम का आधार

शान्ति के गांधीवादी उपागम को समझने के लिए हमें गांधी के सामान्य सामाजिक व राजनीतिक विचारों के मुख्य तत्वों को समझना होगा। गांधीवाद जीवन व समाज का एक समग्र दर्शन है, जोकि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर समरूपता से लागू किया जा सकता है। इस दर्शन का जन्म गांधीजी के विचारों और कार्यों से ही हुआ। व्यक्ति, समाज तथा राज्य के विषय में उनके विचारों ने ही शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनके उपागम का आधार प्रदान किया।

गांधीजी ने, निर्विवाद रूप से, समाजशास्त्र तथा ज्ञानशास्त्र दोनों को प्रतिपादित किया। गांधीवादी विचारधारा में, आध्यात्मिक तथा सामाजिक सिद्धान्त, धार्मिक मूल्य तथा राजनीतिक योजना सभी का एक संतुलित समावेश है। राजनीति के समक्ष नैतिक प्रधानता, तथा तात्विक के समक्ष आध्यात्मिक प्रधानता गांधीजी के विचारों की मौलिकता है। उनके लिए सत्य ही अंतिम उद्देश्य है तथा अहिंसा उसे पाने का उत्तम साधन। पूर्ण सत्य ही सर्वशक्तिमान तथा सर्वसम्मिलित है। यह दैव्यता के समान है। सत्य से परे न कोई सुन्दरता है न ही कोई कला। गांधीजी ने बड़ी खूबसूरती से उक्ति "ईश्वर ही सत्य है" को "सत्य ही ईश्वर है" में परिणित कर दिया। किसी साध्य को पाने हेतु साधन की शुद्धता भी गांधीवादी उपागम की एक मौलिक कड़ी है। मैक्यावलीवादी विचार 'साध्य ही साधन की सार्थकता है' को नकार कर गांधीजी ने साधन और साध्य को अविच्छेद्य बताया। अच्छाई, अच्छाई का सूत्रधार है तथा बुराई, बुराई का। वास्तव में 'साध्य', 'साधन' से ही उपजता है। गांधी की नज़र में, जिस प्रकार तुम संघर्ष करते हो, और जिस साध्य के लिए करते हो - एक ही बात है। अतः, गांधीवादी दर्शन में किसी भी समस्या का समाधान संघर्ष के साधनों में ही निहित है।

13.2.1 सत्याग्रह

सत्याग्रह, गांधीजी का सामाजिक विचार तथा आन्दोलन को सबसे मूल एवं महत्वपूर्ण योगदान है। अन्याय, शोषण तथा अधिनायकवाद के विरुद्ध 'सत्याग्रह' के माध्यम से अहिंसात्मक संघर्ष की इस नीति की गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद के विरुद्ध (और फिर भारत में अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध) संघर्ष के दौरान कल्पना की और इसे लागू किया। भारत में अंग्रेज़ी शासन की नींव को हिलाने तथा जनता को देश की स्वतंत्रता के लिए जागरूक करने में मुख्यतः गांधीजी के अनेक सत्याग्रह आन्दोलन ही जिम्मेदार हैं। सत्याग्रह प्रत्येक परिस्थिति में लागू किया जा सकता हैः अन्तर-वैयक्तिक से लेकर सामूहिक संबंधों पर, राष्ट्रीय संघर्षों से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों तथा सूक्ष्म से लेकर बृहत् स्तर की समस्याओं पर। इसका प्रयोग भूमंडलीय स्तर पर अत्याचार, शोषण तथा युद्ध के विरुद्ध संघर्ष में भी किया जा सकता है। अतः, शान्ति का गांधीवादी उपागम मुख्य रूप से सत्याग्रह पर आधारित है। वास्तव में, गांधीजी सत्याग्रह को युद्ध का नैतिक विकल्प मानते थे; राज्य की समस्याओं के समाधान का एक बेहतर साधन। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए यह बल प्रयोग व हिंसा के स्थान पर अनुनय तथा नैतिक दबाव पर निर्भर करता है।

सत्याग्रह संस्कृत शब्द 'सत्य' व 'आग्रह' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है – अत्याचारी को बिना हानि पहुँचाए, तथा उसके प्रति मन में किसी प्रकार की घृणा के बिना, अत्याचार तथा बुराई का शान्तिपूर्ण साधनों के द्वारा विरोध करना। सत्याग्रह, अहिंसात्मक प्रतिरोध की सिर्फ तकनीक मात्र नहीं है, अपितु जीवन का सामाजिक एवं नैतिक दर्शन है। सत्याग्रह के अनेक अहिंसात्मक साधन हैंः तर्क, अनुनय, आत्म-कष्ट द्वारा हृदय परिवर्तन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, उपवास, इत्यादि। यह इस धारणा पर आधारित है कि विरोधी को तर्क के द्वारा समझाया जा सकता है, तथा उसकी एक आत्मा है जो दूसरे व्यक्ति की समस्या – कष्ट से दुखी होती है एवं किसी भी शालीन तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया करती है। सत्याग्रही का लक्ष्य विरोधी का हृदय परिवर्तन है न कि बल प्रयोग व ज़बरदस्ती। हृदय परिवर्तन सत्याग्रही की निष्ठा तथा त्याग पर निर्भर करता है। आत्म-कष्ट, त्याग तथा सत्याग्रही की सकारात्मक मनोवृत्ति विरोधी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि विरोधी का हृदय परिबर्तन, बिना किसी कुंठा तथा बदले ही भावना के साथ ही किया जाए।

सत्याग्रह का लक्ष्य/उद्देश्य है – विरोध को नष्ट करना, न कि स्वयं विरोधी को। सत्याग्रह में, विरोधी दल की नकारात्मक क्रियाओं का लगातार व दृढ़ता से विरोध करना होगा, तथा साथ ही उनके प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना भी नहीं होगी। गांधीजी का मानना है कि हमें विरोधी को अपना शत्रु नहीं मानना है। उन्होंने कहा, हम तरीकों व व्यवस्थाओं पर आक्रमण कर सकते हैं, ... व्यक्ति पर नहीं। क्योंकि हम स्वयं पूर्ण नहीं हैं, हमें दूसरों के प्रति नम्र होना होगा तथा उनके प्रति आरोपारोपण करने में बहुत समझदारी से काम लेना होगा।

13.2.2 . अहिंसा (Ahinsa or Non-violence)

गांधीजी के शान्तिवाद का आधार है – अहिंसा। अहिंसा की पुनर्व्याख्या गांधीजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अहिंसा सत्य को पाने का साधन है। जिस प्रकार हिंसा पशु का विशिष्ट व्यवहार है, उसी प्रकार अहिंसा मानव का नैसर्गिक व्यवहार है। गांधीजी के लिए अहिंसा, हिंसा से कहीं ऊपर है। बदलाव लाने की इस रणनीति को गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका विकास हुआ। गांधीजी की अहिंसा, जोकि जैन तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के प्रभाव से उत्पन्न हुई, कष्ट न देने का कोई नकारात्मक मूल्य नहीं है, अपितु मानवता के लिए प्रेम, त्याग तथा क्षमाशीलता का सकारात्मक व्यवहार है। प्रतिशोध की अपेक्षा क्षमाशीलता के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। अतः, अहिंसा निष्क्रिय नहीं अधिकार की सही परिभाषा है - प्रेम व त्याग, अपने शुद्ध सकारात्मक रूप

में। इसका आशय है किसी को भी अपने विचारों, शब्दों तथा कार्यों से हानि या दुख न पहुँचाना। इसका मतलब है, अन्यायी के प्रति भी प्रेम रखना, उसका भला चाहना। परन्तु अहिंसा कायरों का नहीं, शक्तिशाली का हथियार है।

गांधीजी ने कहा था, यदि मुझे कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा का समर्थन करूँगा। उन्होंने कहा अपने अपमान को कायरों की भाँति स्वीकार करने से तो बेहतर है देश के गौरव के लिए हथियार उठाकर लड़ मरना। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष का पूरी निष्ठा तथा आत्मबल के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने कहा था कि "मैं चाहूँगा कि भारत अपने सम्मान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, बजाय इसके कि वह कायरतापूर्वक अपने अपमान को एक असहाय की भाँति देखता रहे।"

13.3 युद्ध के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण

गांधीजी युद्ध को एक विशुद्ध बुराई मानते थे। यह अनैतिक एवं बुरा है क्योंकि यह सत्य और अहिंसा के मूल्यों का अतिक्रमण करता है। गांधीजी ने आक्रमण के सभी प्रकारों का विरोध किया – चाहे वह सेना द्वारा समर्थित हो या न हो। गांधीजी का कहना था कि युद्ध उन्हें भी अनैतिक बना देता है जिन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह मानव को उसके स्वाभाविक व्यवहार से दूर कर देता है। युद्ध से कोई उपलब्धि नहीं होती क्योंकि जो कुछ तलवार से जीता जाता है, वही तलवार से हारा भी जा सकता है। गांधीजी ने युद्ध तथा लोकतंत्र को विरोधाभासी माना। लोकतंत्र का आधार मानवता और सहयोग है, जबकि युद्ध मानव संबंधों को नष्ट कर देता है। युद्ध लोकतंत्र की अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। सामान्य रूप से, युद्ध के अनेक कारण हैं। फिर भी आज के युग में गांधीजी जातिवाद, उपनिवेशवाद तथा फासीवाद को युद्ध के मुख्य कारण मानते हैं। आर्थिक विषमता तथा शोषण, युद्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तनाव के अन्य कारण हैं।

यद्यपि सामान्य रूप से गांधीजी ने युद्ध के हर प्रकार का खण्डन किया, तथापि युद्ध के प्रति उनकी प्रतिक्रिया समय-समय पर बदलती रही। कई बार युद्ध के नैतिक आधार व उपयोगिता पर उनके विचार विरोधाभासी रहे। हालाँकि सैद्धान्तिक रूप से उन्होंने हर प्रकार के युद्ध को वर्जित कहा, परन्तु फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्होंने युद्ध का त्याग नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका में ज़ुलु युद्ध तथा प्रथम विश्व युद्ध में गांधीजी ने स्वयं हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद, पाकिस्तान से कश्मीर के प्रश्न पर युद्ध में भी गांधीजी ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के स्थान पर युद्ध का समर्थन किया था।

युद्ध पर गांधी जी के विचारों को श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली, एक अशिक्षित शान्तिवादी की भाँति उन्होंने युद्ध के हर प्रकार को नकारा तथा माना कि युद्ध से किसी की भलाई नहीं होती, न तो विजयी की और न ही पराजित की। बल प्रयोग में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। हिंसा चाहे प्रतिरक्षा के लिए की जाए या न्याय की रक्षा के लिए, उपयोगी हो ही नहीं सकती। द्वितीय विश्व युद्ध तथा परमाणु अस्त्रों की गांधीजी द्वारा आलोचना शान्तिवाद के इस प्रकार को स्पष्ट कर देती है। उन्होंने अहिंसावादी तथा सत्य की राह पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से किसी भी युद्ध में हिस्सा न लेने का सुझाव दिया। दूसरी, एक प्रतिबंधित (conditional) शान्तिवादी की तरह गांधीजी का विचार था कि एक अनुपयुक्त साधन होते हुए भी कुछ युद्धों के द्वारा भलाई अर्जित की जा सकती है। उन्होंने यह भी माना कि व्यक्ति तथा राज्य न्याय एवं भलाई का समर्थन करने वाले पक्ष के साथ हो सकते हैं। 1904-05 के रूस-जापान युद्ध के संदर्भ में गांधीजी की प्रतिक्रिया इसी श्रेणी में आती है। तीसरी, एक व्यावहारिक राष्ट्रवादी की तरह गांधीजी ने राष्ट्रवाद की माँगों को शान्तिवाद के ढाँचे में समायोजित करने की कोशित की। एक निर्दोष राज्य पर किए गए आक्रमण के उत्तर में प्रतिरक्षा के लिए युद्ध करना गुणात्मक रूप से भिन्न बात है। जबकि आक्रमक युद्धों का कोई नैतिक औचित्य नहीं होता, प्रतिरक्षा के लिए सैनिक प्रतिक्रिया को गांधीजी ने कुछ विशेष परिस्थितियों में सही ठहराया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन तथा 1947-48 में हुए भारत पर

पाकिस्तान के हमले के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का गांधीजी ने औचित्य समझाने का प्रयास किया। गांधी जी ने यह भी स्वीकार किया कि विश्व से हिंसा को पूरी तरह से समाप्त करना असंभव है। अतः एक अहिंसावादी को युद्ध समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालाँकि, यदि वह इसमें सफल नहीं होता तो पूर्ण रूप से युद्ध में भाग ले सकता है तथा अपने देश व विश्व को युद्ध से मुक्त कराने का प्रयास कर सकता है।

13.4 गांधी की शान्ति विषयक सोच

शान्ति, गांधीजी की परिकल्पना में, युद्ध या हिंसा के अभाव से कहीं ज्यादा है। यह विश्व व्यवस्था की एक ऐसी रचनात्मक व सकारात्मक स्थिति है जहाँ व्यक्ति, समूह तथा राज्य एक-दूसरे के ऊपर अधिकार या शोषण न करके, आपसी सहयोग व मदद के वातावरण में रहते हैं। अतः शान्ति समाज व विश्व को जोड़ने का कार्य करती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति हिंसा के बिना अपने आपसी मतभेदों का निवारण बातचीत के माध्यम से कर सकते हैं।

शान्ति तथा सत्य को पृथक नहीं किया जा सकता। गांधीजी ने कहा था, "शान्ति का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। सत्य शान्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है।" अतः, असत्य तथा धोखे से अर्जित शान्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऐसी शान्ति अधिक समय तक नहीं रहती। सत्य पर आधारित शान्ति स्थिर होती है तथा व्यक्ति के आंतरिक आध्यात्मिक विकास तथा सामाजिक विकास को प्रशस्त करती है। शान्ति तथा न्याय भी आपस में महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं।

गांधीजी शान्ति तथा युद्ध को अलग समस्या नहीं मानते थे। उन्होंने शान्ति की एक ऐसी परिकल्पना दी जो जीवन दर्शन पर आधारित है। गांधीवादी उपागम में शान्ति की धारणा मानवता की एकता तथा राष्ट्रों के स्वतंत्र स्वभाव के लक्ष्य का बोध कराती है। गांधीजी समस्त मानवता को एक ही मानते थे तथा सार्वभौमिक भाईचारे के लिए आग्रह करते थे। उनके अनुसार मानव चेतना (जो सब जगह व्याप्त है), मानवता को, राष्ट्रीयता, जाति तथा संस्कृति के भेदभावों से ऊपर, आध्यात्मिक एकता में बाँधती है सभी व्यक्तियों में आपसी सदभाव व मित्रता शान्ति की आवश्यक शर्त है क्योंकि मानवता अविभाज्य है, कोई व्यक्ति स्वयं को कष्ट दिए बिना दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार कर ही नहीं सकता।

यथार्थवादी उपागम संघर्ष को दो समूहों के बीच स्वार्थों का टकराव मानता है, जो युद्ध में एक पक्ष की जीत से या फिर समझौते द्वारा सुलझाया जा सकता है। गांधीवादी संघर्ष को स्वार्थों का टकराव नहीं मानता। यह इसको मानसिक भ्रम, भ्रामक अवधारणाओं या आकांक्षाओं का परिणाम मानता है। गांधीजी ने माना कि संघर्ष जीवन के बहाव में अस्थायी बाधाएँ हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संघर्ष दो व्यक्तियों या समूहों के बीच नहीं होता, वरन दो व्यवस्थाओं के बीच होता है। अतः संघर्ष की स्थिति में व्यक्तिगत विरोध का कोई स्थान नहीं है। इस संघर्ष का आपसी व रचनात्मक बातचीत के द्वारा समाधान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक पक्ष को अपने स्वार्थ या स्थिति का त्याग करना पड़े। बल्कि समाधान की प्रक्रिया में मानसिक बदलाव दोनों ही पक्षों के लिए विजय की परिस्थिति प्रदान कर सकता है।

शान्ति का गांधीवादी उपागम पश्चिम में प्रचलित शान्तिवाद से आवश्यक रूप से भिन्न है। गांधीजी की अहिंसा तथा शान्तिवाद, दोनों ही हिंसा को सामान्य तौर पर नकारते हैं। परन्तु भिन्नता यह है कि जहाँ शान्तिवाद हिंसा का विरोध कर सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेगा, गांधीवादी अहिंसा में शान्ति तथा न्याय के प्रोत्साहन के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व भी शामिल है। कई बार, पश्चिमी शान्तिवाद अन्याय व बुराई का विरोध करने की अपेक्षा निष्क्रिय शान्तिवाद में परिणत हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति शोषित होते हैं, इसे सोया हुआ एवं अनुपयुक्त अवधारणा मानते हैं। गांधीजी का सत्याग्रह, शान्तिवाद का एक नया व 'आक्रमक' स्वरूप है, जोकि पश्चिमी शान्तिवाद की अहिंसा तथा नैतिक मूल्यों के साथ एकमत है।

13.5 शान्ति के गांधीवादी उपागम के मुख्य तत्व

गांधीजी के अनुसार, युद्ध कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, वरन् एक सामाजिक व सांस्कृतिक तथ्य है। हिंसा करना या दूसरों की हत्या करना व्यक्ति का स्वभाव नहीं है क्योंकि व्यक्ति शान्तिवादी है, राज्य (जिसमें व्यक्ति रहता है) भी शान्तिप्रिय हो सकता है। यदि युद्ध के मौलिक कारण को समाप्त कर नैतिक तरीकों द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया जाए तो युद्ध को टाला जा सकता है। गांधीजी को अहिंसा के द्वारा शान्ति की स्थापना में असीम आस्था थी। उन्होंने लिखाः "स्थायी शान्ति में विश्वास न होने का अभिप्राय है – मानव स्वभाव की दैव्यता में विश्वास न होना।"

13.5.1 व्यक्ति तथा उसकी मनोवृत्ति पर बल

एक विचारक मानव स्वभाव तथा व्यक्ति की स्वयं को संचालित करने की क्षमता के विषय में क्या सोच रखता है, उसी पर उसकी समाज तथा विश्व की परिकल्पना निर्भर करती है। गांधीजी की शान्ति तथा विश्व व्यवस्था की रूपरेखा में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। गांधीजी एक ऐसे मानवतावादी थे जो व्यक्ति को प्रत्येक सामाजिक व राजनीतिक क्रियाकलाव का केन्द्र मानते थे। व्यक्ति, समग्रता का अभिन्न अंग है। व्यक्ति तथा परिवार के बीच, परिवार तथा पड़ोस के बीच, पड़ोस व समाज के बीच, एक समाज व राष्ट्र के बीच, तथा राष्ट्र व विश्व के बीच - व्यक्ति एक अविच्छेद्य कड़ी है। प्रत्येक स्तर उतना ही सशक्त है, जितने उसके दूसरे स्तर से संबंध अच्छे हैं। अतः विश्व स्तर पर शान्ति की संभावना को सुदृढ़ करने के लिए शुरुआत करनी होगी - व्यक्ति को मनोवृत्ति के स्तर पर।

गांधीजी का मानना था कि युद्ध एवं शान्ति के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान हैं। विश्व शान्ति का प्रश्न अंततोगत्वा स्वयं पर विजय की उपलब्धि है। इसका बोध होते हुए भी कि मानव बुद्धि भ्रष्टाचार तथा निम्नता की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति रखती है, व्यक्ति ने कभी मानव की अच्छाई तथा भले–बुरे में अंतर करने की उसकी क्षमता में आस्था नहीं छोड़ी। व्यक्ति सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्तों पर जीवन जी सकता है। अंतोतगत्वा, भौतिक एवं तात्विक शक्ति पर नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति की विजय निश्चित है क्योंकि अहिंसा की चाह प्रत्येक मनुष्य के दिल में विद्यमान है। आध्यात्मिक शक्ति भले ही सुसुप्त अवस्था में हो, परन्तु उसे सही प्रशिक्षण एवं प्रेरणा से जगाया जा सकता है।

हिंसा की आलोचना मात्र से विश्व शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए मनुष्य को सुधारना होगा। शान्ति को ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, उसे अंदर से प्रफुल्लित करना होगा। क्योंकि युद्ध एवं शान्ति दोनों ही मनुष्य की बुद्धि में है, एक अहिंसावादी शान्तिवादक को कहीं और शान्ति की स्थापना से पहले अपने अंदर उसे स्थायी बनाना होगा। गांधीवादी योजना में, मनुष्य की अशुद्धियों को दूर करना जैसे क्रोध, घृणा, स्वार्थीपन, महत्वपूर्ण व मौलिक साधन हैं। एक सत्याग्रही को अपना लक्ष्य पाने के लिए अपना लगातार आत्म-निरीक्षण, आत्म-शुद्धि व आत्म-मूल्यांकन करना आवश्यक हैं।

13.5.2 एक नवीन जीवन शैली एवं संस्कृति की आवश्यकता

गांधीवादी अवधारणा का मानना है कि हिंसा का मूल लालच, उपभोक्तावाद तथा भौतिकवाद में निहित है, अतः विश्व शान्ति के लिए एक नवीन जीवन-शैली एवं संस्कृति की आवश्यकता है। आधुनिक सभ्यता जो निजी स्वार्थ की उपासक है, समाज के नैतिक आधार के लिए घातक है। मानव आवश्यकताओं को सीमित करना तथा स्वयं-संबंधी से अन्य-संबंधी मानसिकता शान्ति की गांधीवादी परिकल्पना के मुख्य अंग हैं।

13.5.3 नैतिक समाधान की खोज

युद्ध एवं शान्ति के प्रश्न को लेकर परम्परावादी उपागमों और सिद्धान्तों में अनेक प्रकार की भ्रामक अवधारणाएँ हैं। अभी तक शान्ति के प्रयास गलत तरीकों के प्रयोग तथा शान्तिकर्त्ताओं की निष्ठा के अभाव

से असफल रहे हैं। गांधीवादी उपागम में, शान्ति किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के क्रियाकलापों या शक्ति-संतुलन का परिणाम नहीं है। युद्ध मुख्यतः एक नैतिक समस्या है तथा इसके लिए नैतिक समाधान की ही आवश्यकता है। यदि हम इसमें निहित नैतिक समस्या का समाधान कर सकें तो युद्ध के प्रकोप से सफलतापूर्वक बचा जा सकता है। नैतिक समस्या का जन्म उन प्रतिमानों से होता है, जो राष्ट्रों के आपसी व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा के प्रयोग को वैधता प्रदान करते हैं। ये प्रतिमान समाज में व्यक्तियों द्वारा पालित प्रतिमानों से एकदम विपरीत हैं। जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार में उचित है, वह अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुचित एवं अवांछनीय है। नैतिक मानव एक अनैतिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्वयं के उन्नत व्यवहार को हानि पहुँचाए बिना नहीं रह सकता।

जब तक राष्ट्रों की सामूहिक बुद्धि सभ्य नहीं हो जाती, विश्व में शान्ति नहीं हो सकती। गांधीजी का मत था कि प्रत्येक कर्म - चाहे वह स्वयं के लिए किया गया हो या फिर परिवार, समूह या राष्ट्र के लिए - अपने एक उपयुक्त परिणाम को जन्म देता है। दुष्ट कर्म दुष्परिणाम को जन्म देते हैं तथा भला कार्य भलाई को। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अच्छाई को बुराई ने वशीभूत कर लिया है। प्रत्येक युद्ध एक अन्य युद्ध का कारण बन जाता है। अतः, पुरातन समय के संतों एवं ऋषियों की धारा में, गांधीजी ने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के निवारण के नैतिक साधनों का सुझाव दिया। यदि मानवता को एक व्यापक और विनाशकारी परमाणु युद्ध की संभावना को दूर करना है तो सदियों से निर्धारित नियमों का राष्ट्रों को एक-दूसरे के साथ व्यवहार में पालन करना होगा। जिस प्रकार सभ्य समाज में नैतिक कानून की स्थापना के लिए अनेक सुधारकों को कष्ट सहने पड़े, उसी प्रकार राष्ट्रों के बीच नैतिक कानून लागू करने के लिए कुछ राष्ट्रों को कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना होगा। युद्ध 'आपसी हिंसा' है, जो घृणा, प्रतिशोध तथा द्वेष को जन्म देता है।

13.5.4 राष्ट्रवाद के साथ मानवतावाद को जोड़ना

गांधीजी एक निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्र की सशक्त अवधारणा अभिव्यक्त की तथा वे भारतीयों के सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए। यद्यपि वे एक मानव राष्ट्रवादी नेता थे, उनका राष्ट्रवाद आम प्रकृति का नहीं था। न ही वह एकान्तिक व संकुचित था। उनका मानना था कि अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के सर्वदेशीयवाद की भावना के अभाव में राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद की भाँति हानिकारक साबित हो सकता है। भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा न मानकर शोषित देशों की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा माना। उन्होंने कहा, "भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ-साथ मैं मानव भाईचारे के उद्देश्य को भी पाना चाहता हूँ।" एक स्वतंत्र भारत विश्व में शान्ति का संदेश देगा तथा अपनी विदेश नीति में देश की आध्यात्मिक धरोहर एवं अहिंसात्मक संघर्ष को उजागर करेगा।

गांधीजी का मत था कि विश्व शान्ति के लिए राष्ट्र-राज्य व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक नहीं है। "राष्ट्रवाद बुराई नहीं है, बुराई है स्वार्थीपन, संकुचित व एकान्तिक भावना ... हमारा राष्ट्रवाद अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा नहीं है क्योंकि न तो हम दूसरों का शोषण करेंगे और न ही दूसरों को अपना शोषण करने की अनुमति देंगे।" राष्ट्रवाद तथा अन्तरराष्ट्रवाद एक –दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों को हानि पहुँचाना आवश्यक नहीं है।

13.5.5 अहिंसावादी राज्यों के लिए 6-सूत्री कार्यक्रम

गांधीजी की शान्ति की परिकल्पना में, शान्तिप्रिय एवं अहिंसावादी राज्य निम्नलिखित 6 सूत्रों के प्रति निष्ठावान होने चाहिए। पहला, उसे पूर्ण व सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण अपनाना चाहिए। ऐसा करने में जो राशि बचती है तथा सेना का कार्य कम होता है, उसका प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए। दूसरा, एक अहिंसावादी राज्य को अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों को स्वतंत्र कर देना चाहिए तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वयं विकसित होने में सहायता करनी चाहिए। तीसरा, एक अहिंसावादी राज्य को ऐसे समस्त सुरक्षा गठबंधनों से हट जाना चाहिए जो उसे किसी भी प्रकार के सैन्य दायित्व में बाँधते हों।

चौथा, ऐसे राज्य को परम्परावादी खुफिया जानकारी व दूसरे राज्यों का भेद लेने की नीति को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। पाँचवाँ, ऐसे राज्य को अन्य राज्यों के साथ सैन्य संबंधी व्यापार को कम कर देना चाहिए। छठा, यदि ऐसे राज्य के पास पर्याप्त संसाधन हैं तो उन्हें अन्य अविकसित राज्यों के साथ बाँटना चाहिए।

13.5.6 निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन

गांधीजी ने इस मत को पूर्ण रूप से नकारा कि शस्त्रास्त्र राज्य को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा अन्य राज्यों को आक्रमण करने से रोकते हैं। एक राज्य की अस्त्रों को जमा करने की आकांक्षा को गांधीजी ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बीमारी व अस्त-व्यस्तता बताया। अस्त्र शत्रु को आक्रमण करने से नहीं रोकते। एक राज्य की सच्ची शक्ति है उसके देशवासियों की लड़ने व राष्ट्र के लिए मिट जाने की भावना। उन्होंने कहा, "यदि अस्त्रों की होड़ ऐसे ही चलती रही, तो इसका परिणाम एक ऐसा कत्लेआम होगा जो इतिहास में पहले कभी न हुआ हो। ऐसे में यदि कोई विजयी होगा तो वह विजय उसके लिए एक जीवित मौत बन जाएगी।"

गांधीजी का मत था कि एक कम अस्त्रों वाले विश्व के लिए कुछ अवधारणाओं को स्वेच्छा से स्वयं को निरस्त्र कर ज़ोखिम उठाना होगा। उन्होंने अपने समय की महाशक्तियों से स्वैच्छिक/एकतरफा निरस्त्र होने की अपील की। उनका मानना था कि प्रत्येक महान कार्य एक छोटे से कदम से ही आरंभ होता है। यदि एक पक्ष एकतरफा निरस्त्रीकरण की चेष्टा करता है और दूसरा राज्य भी बदले में ऐसा ही कदम उठाता है, तो निरस्त्रीकरण की एक प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। यदि पहला कदम उठाने पर विरोधी बदले में कदम नहीं उठाता तो पहल करने वाले राज्य को कुछ रुककर दूसरा कदम उठाना चाहिए। यदि एक राज्य निरस्त्रीकरण की दिशा में निरंतर निष्ठा से कार्यरत रहेगा तो दूसरा राज्य ज्यादा समय तक अप्रतिक्रियावादी नहीं रह सकता।

13.5.7 परमाणु अस्त्रों के विरुद्ध संघर्ष

गांधीजी को यह विचार एक उपहास प्रतीत होता था। कि परमाणु अस्त्रों की विध्वंसकारी शक्ति आगामी युद्धों को रोक सकती है। उन्होंने कहा - अमेरिकी दोस्तों का मानना है कि अणु बम अहिंसा लाएगा ... परन्तु जैसे ही भय का आतंक समाप्त होगा, विश्व, हिंसा की ओर एक नए जोश के साथ अग्रसर होगा। अभी तक जो मैं देख सकता हूँ वह यह है कि परमाणु बम ने समाज की उन सूक्ष्म भावनाओं का विनाश किया है जिन्होंने मानवता की सदियों से रक्षा की थी। युद्ध के कुछ तथाकथित नियम होते थे जो उसे सहनीय बना देते थे। यह आज का एक कटु सत्य है कि आज का युद्ध शक्ति के अलावा कोई नियम नहीं जानता। परमाणु बम की महान त्रासदी से यही शिक्षा ली जा सकती है कि इसके प्रभाव को प्रतिघातक बम नहीं मिटा सका; जिस प्रकार हिंसा को प्रतिहिंसा समाप्त नहीं कर सकती। मानवता को हिंसा से छुटकारा अहिंसा द्वारा ही मिल सकता है।

गांधीजी का अहिंसा तथा नैतिक मार्ग पर विश्वास 1945 के हिरोशिमा व नागासाकी नामक जापानी शहरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के उपरान्त भी अडिग रहा। उन्होंने एक अवसर पर कहा "अणु बम मेरी अहिंसा व सत्य के सामने कुछ भी नहीं है। अणु बम मेरे पुत्र को मार सकता है, मुझे, मेरे परिवार तथा 40 करोड़ भारतीयों को मार सकता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अणुबम में हमारी आत्मा को नष्ट करने की शक्ति नहीं है।" जब उनसे पूछा गया कि वे अहिंसा द्वारा परमाणु अस्त्रों का मुकाबला कैसे करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया: "मैं खुली जगह में आकर विमानचालक को अपना चेहरा दिखा दूँगा कि मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। इतनी ऊँचाई से चालक को मेरा चेहरा नहीं दिखेगा ... परन्तु हमारे मन में यह विचार कि हम कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आएँगे, उस तक अवश्य पहुँच जाएगा तथा उसकी आँखें खुल जाएँगी।"

13.5.8 अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व संघ

गांधीजी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र युद्धों के परिणाम हैं, न कि विजयी राष्ट्रों की ओर से शान्ति के लिए कोई विशुद्ध कदम की अभिव्यक्ति। उन्होंने शान्ति के प्रयासों को अधूरा छोड़ने तथा नैतिकता का त्याग करने पर लीग की कड़ी आलोचना की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि लीग शान्ति की स्थापना में गंभीर रूप से प्रत्यनरत होती तो सत्याग्रह का साधन अपनाना चाहिए था या नेताओं के हृदय परिवर्तन के बिना, तथा मानवता की एकता को स्वीकार किए बिना, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण संबंधों की स्थापना नहीं कर सकते।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय गांधीजी ने एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का समर्थन किया था। हालाँकि उन्होंने यह अपेक्षा की थी कि यह भारत समेत सभी उपनिवेशों में स्वतंत्रता आन्दोलनों को समर्थन करेगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों से आग्रह किया कि इस मंच का प्रयोग उपनिवेशवाद तथा युद्ध को समाप्त करने, उदार शान्ति संधियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस दल की रचना, तथा विश्व संघ एवं आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। यह देखकर कि उनके विचारों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर तथा गतिविधियों में कोई स्थान नहीं दिया गया, गांधीजी ने, कुछ समय पश्चात्, विश्व शान्ति के प्रश्न के प्रति निष्क्रियवाद अपना लिया। संयुक्त राष्ट्र की संस्थापक महान शक्तियों के बारे में उन्होंने लिखा: "यदि वे सोचते हैं कि काली व पिछड़ी जातियों के शोषण के साथ-साथ वे स्थायी शान्ति की स्थापना कर सकते हैं, तो वे मूर्खों के जगत में रहते हैं।"

गांधीवादी उपागम में, शान्ति व सुरक्षा के प्रभावशाली माध्यम बनने के लिए, एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए:

(1) उसके घटक, व्यक्तियों तथा राज्यों को अहिंसा का पालन करना चाहिए। (2) सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा विश्व से जातिवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद जैसी बुराइयों का अंत होना चाहिए। (3) ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को सभी देशों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। (4) इसका आधार सामान्य निरस्त्रीकरण होना चाहिए। (5) सामाजिक समाज सार्वजनिक सुख पर आधारित होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों के लिए बलिदान व त्याग की भावना रखे। (6) सभी झगड़ों का निबटारा बातचीत, मध्यस्थता तथा विवाचन के द्वारा शान्तिपूर्वक ढंग से किया जाना चाहिए। (7) एक छोटी अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस दल की रचना की जाए जो विश्व शान्ति बनाए रखने का कार्य करे।

यद्यपि गांधीजी ने एक केन्द्रीकृत विश्व सरकार की अवधारणा को नकारा नहीं, उनका झुकाव विश्व संघ की ओर था। उन्होंने एक ऐसे संघ की कल्पना की जो मैत्री, न्याय तथा स्वाधीनता पर आधारित हो। ऐसा संघ विश्व में न्याय, शान्ति व अहिंसा के आदर्शों को प्रोत्साहन देगा। ऐसा होना कठिन तो है परन्तु असंभव नहीं। ऐसे संघ की रचना में राज्यों को कुछ संप्रभुता छोड़ने के लिए भी मनाया जा सकता है। विश्व संघ के ढाँचे को केवल सत्य व अहिंसा की नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है।

13.5.9 अहिंसावादी सेना तथा शान्ति सेना

गांधीजी के अनुसार शान्तिपूर्ण विश्व की महत्वपूर्ण शर्त है – अहिंसावादी सेना की रचना। यद्यपि यह एक अव्यावहारिक विचार प्रतीत होता है, परन्तु यदि इसके उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए तो कार्य सरल प्रतीत होगा। ऐसी अहिंसावादी सेना, बिना शस्त्रों के, सशस्त्र सैनिक आक्रमण को रोक सकती है। एक अहिंसावादी सेना, शान्ति व युद्ध के समय, सामान्य सेना से भिन्न कार्य करती है। यह आक्रमणकारी समुदायों को करीब लाती है, शान्ति का प्रचार करती है तथा ऐसी गतिविधियाँ अपनाती है जो आक्रामक पक्षों को एक-दूसरे के प्रति सद्भावना विकसित करने में सहायक होती हैं। ऐसी सेना को किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

गांधीजी ने अहिंसावादी सेना की अवधारणा को यथार्थ रूप देने के लिए शान्ति सेना की अवधारणा का विकास किया। 1922 के व्यापक जातीय दंगों के दौरान गांधीजी ने पहली बार शान्ति सेना की रचना की बात सोची। हालाँकि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के आस-पास ही गांधीजी ने इस विचार को गंभीरता से लिया। दुर्भाग्यवश, गांधीजी की हत्या के कारण यह प्रस्ताव अधूरा ही रह गया। शान्ति सेना एक नागरिक सुरक्षा बल है जो अहिंसात्मक तरीकों से सत्याग्रह के द्वारा शान्ति की स्थापना में कार्यरत रहती है। शान्ति सेना की इकाइयाँ प्रत्येक शहर व ग्राम में बनाई जा सकती हैं। ऐसी नागरिक सुरक्षा का ध्येय सीमाओं व इमारतों की रक्षा करना नहीं बल्कि समस्त समाज को सुरक्षा प्रदान करना होता है। एक शान्ति दल वाले राज्य पर आक्रमण की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि यह सेना स्वयं कोई खतरा प्रदान नहीं करेगी। इस शान्ति बल के सदस्यों की मुख्य विशेषता/गुण होना चाहिएः ईश्वर में असीम विश्वास, सच्चाई, अनुशासन व अपने कार्य के प्रति निष्ठा। शान्ति के समय, *शान्ति सेना* सामाजिक कल्याण व रचनात्मक कार्य में संलग्न रहेगी। यदि शान्ति सेना लोगों को आकर्षित करने में सफल रही तो यह सेना व पुलिस का विकल्प बन सकती है।

प्रशिक्षित सत्याग्रही व शान्ति सेना सत्य, शान्ति व अहिंसा के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार होगी, जिसमें जीवन बलिदान भी शामिल है। सत्याग्रही तथा शान्ति सेना का यह दल आक्रमणकारी का सामना कर उसे उसके बुरे कर्म से अवगत कराएगा। ऐसा करने में वे अपने जीवन के बलिदान के लिए भी सहर्ष तैयार रहेगा। जब आक्रमणकारी पुरुषों व स्त्रियों की कतार के बाद कतार को निहत्थे अपने सामने बलिदान व समर्पण करते हुए देखेगा तो उसका हृदय पिघल जाएगा, तथा वह हथियार फेंक देगा। गांधीजी का दावा था कि "युद्ध की आग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को मारने की क्रिया वर्षों तक कर सकता है क्योंकि वहाँ उसका ध्येय है मर जाना या मार देना। परन्तु यदि स्वयं के मारे जाने का कोई खतरा न हो तो आप निहत्थे व मासूम व्यक्तियों को, जो स्वयं का बचाव भी नहीं कर सकते, अंधाधुंध कब तक मार सकते हो। आप आत्म-ग्लानि से अपने हथियार डाल देंगे।"

13.5.10 आक्रमणकारी के साथ असहयोग

युद्ध की स्थिति में, गांधीजी ने आक्रमणकारी राज्य के साथ असहयोग का महत्व बताया। उन्होंने कहा था कि विजयी सेना के साथ युद्ध करने के बजाए पहले अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए तथा उसके पश्चात् असहयोग का। सत्याग्रहियों को विजयी सेना से सहयोग या बातचीत बिल्कुल बन्द कर देनी चाहिए। यदि एक क्षेत्र की समस्त जनसंख्या विजयी सेना के साथ किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करेगी तो सेना को उस क्षेत्र पर ज्यादा लम्बे समय तक कब्ज़ा बनाए रखना असंभव हो जाएगा। कुछ समय बाद परेशान और हताश होकर वह सेना स्वयं ही क्षेत्र छोड़ देगी। इसके लिए, गांधीजी का मानना था कि लोगों को व्यक्तिगत नागरिक प्रतिरोध का प्रशिक्षण देना होगा। अहिंसा द्वारा प्राप्त शान्ति स्थिर रहती है क्योंकि इसके पश्चात् कोई मुद्दा या प्रतिशोध उभर कर नहीं आता।

13.5.11 पारिस्थितिकी मामलों का संबोधन

शान्ति का गांधीवादी उपागम सिर्फ व्यक्तियों से ही संबंधित नहीं है, वरन् पारिस्थितिकी (ecology) तथा सृष्टि (cosmos) से भी संबंध रखता है। गांधीजी ने पर्यावरण के लिए चिंता व्यक्त की थी। उनका मानना था कि युद्ध केवल शक्ति अथवा क्षेत्र की आकांक्षा से नहीं लड़े जाते, अपितु विकास के तरीकों, जोकि प्रकृति व जीव की अवहेलना पर आधारित हैं, के कारण भी होते हैं। अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक '*हिंद स्वराज*' में गांधीजी ने पाश्चात्य सभ्यता को प्रकृति व मानव जाति की शोषणकारी व्यवस्था बताया, जिसमें विकास का आधार है पृथ्वी के संसाधनों का अति-उपयोग, अति-उत्पादन तथा अति-उपभोग। ऐसी सभ्यता, जो व्यक्ति के स्वार्थी स्वभाव पर आधारित हो, अनैतिक अर्थशास्त्र व अनैतिक राजनीति को प्रोत्साहित करती है। एक शान्तिपूर्ण विश्व की स्थापना तभी हो सकती है जब व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहना सीख ले तथा समस्त जीव-जगत के प्रति मैत्री भाव रखे।

13.5.12 विकास प्रतिमान में सुधार

इसी प्रकार हमारे विकास प्रतिमानों को भी सुधार कर, मशीन-केन्द्रित से व्यक्ति-केन्द्रित बनाना होगा। बड़ी प्रौद्योगिकी व विशाल व्यापार विश्व के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। एक अहिंसात्मक समाज की ओर अग्रसर होने के लिए सही तकनीक की आवश्यकता है। गांधीजी का यह भी मानना था कि सैनिकवाद व केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था अपृथकरणीय हैं। केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था व बड़े कारखानों की आवश्यकता होती है - शक्तिशाली सेना व अस्त्र-शस्त्र, तथा अस्त्र-शस्त्रों को बनाने या खरीदने के लिए विशाल अर्थव्यवस्था ज़रूरी है। हम तब तक एक अहिंसावादी तथा शान्तिपूर्ण विश्व समाज नहीं बना सकते जब तक कारखानों की सभ्यता है। विकेन्द्रीकृत उत्पादन ही, जो अधिक रोज़गार दे सके तथा समाज के न्यूनतम स्तर के व्यक्तियों का शोषण न करे, अहिंसावादी व शान्ति की स्थापना कर सकता है।

13.5.13 आंतरिक मतभेदों को शान्त करना

गांधीजी का यह भी मानना था कि अपने स्वयं के समाज में मतभेदों को शान्त किए बिना, विश्व स्तर पर शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। एक राष्ट्र, जिसने आंतरिक शान्ति व सामंजस्य स्थापित कर लिया, उसे सैन्य शक्ति की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। अतः सामाजिक संबंधों को सुधारने के लिए सत्याग्रह व रचनात्मक कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता व समझ तथा जातीय एवं सामुदायिक मतभेदों का समाधान ही विश्व शान्ति की स्थापना में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं।

13.5.14 आर्थिक शोषण का अन्त

शस्त्रास्त्रों का अधिग्रहण व युद्ध, प्रायः आर्थिक व शोषणकारी तत्वों की देन है। अतः, गांधीजी के अनुसार वास्तविक शान्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि राष्ट्र एक–दूसरे का शोषण करना बन्द नहीं करते। एक शान्तिप्रिय राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं में सहायता एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का समाधान कर सकता है।

13.5.15 शान्ति प्रक्रिया में जन-भागीदारी

गांधीजी का मानना था कि शान्ति की स्थापना, राजनयिक कार्यवाहियों से नहीं अपितु समाज के प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों व समूहों की भागीदारी से संभव है। गांधीवादी विचारधारा में, ऊपर के बजाय नीचे से शान्ति की स्थापना एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अतः शान्ति प्रक्रिया में समाज के सभी घटकों - सामान्य पुरुष एवं नारी, अव्यस्क, युवा, नागरिक समाज संस्थाएँ तथा शिक्षा संस्थाएँ आदि– को शामिल किया जाना चाहिए।

13.6 शान्ति के गांधीवादी उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन

गांधीजी की शान्ति की परिकल्पना व विचार आलोचकों द्वारा स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी, असंगत व विरोधाभासी बताए गए हैं। चूँकि युद्ध के संबंध में गांधी ने अपने विचार व स्थिति अनेक बार बदली, इसलिए आलोचक उनके विचारों को असंगतिपूर्ण एवं अविश्वसनीय ठहराते हैं। उनका शान्तिवाद, विशेषकर अंग्रेज़ों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने, तथा स्वतंत्रता के तुरंत बाद अंग्रेज़ों का समर्थन, पाश्चात्य विचारकों द्वारा पूर्ण शान्तिवाद के मानकों से कहीं मेल नहीं खाता।

आलोचक गांधीजी के अहिंसा दर्शन पर नैतिक तथा व्यावहारिक प्रश्नचिह्न लगाते हैं। उनका कहना है कि गांधीवाद में कुछ परिस्थिति में एक हिंसात्मक क्रिया भी नैतिक हो जाती है। साधन और साध्य के बीच संबंध अत्यधिक जटिल है। साधन और साध्यों को उनके विस्तृत संदर्भ में समझना है। गांधीवादी उपागम की एक सीमा यह भी है कि उसकी सफलता शासक वर्ग के द्वारा न्याय तथा शान्ति का मार्ग अपनाने

पर निर्भर करती है। यह विचारधारा राज्य के हितों को व्यक्ति के हितों से परे रखती है। कुछ विद्वानों के अनुसार गांधीजी ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत की जटिलता को पूर्ण रूप से नहीं जाना और न ही विश्व शान्ति की कोई ठोस व व्यावहारिक योजना ही दी। आलोचकों की गांधीजी को नागरिक सुरक्षा तथा अहिंसात्मक प्रतिरोध की व्यावहारिक वैधता पर भी संदेह है।

तथापि, गांधीजी एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उनके योगदान का आकलन उनके द्वारा उठाए कदमों व कार्यों से किया जाना चाहिए, न कि उन्होंने विश्व शान्ति के संबंध में क्या लिखा, उससे। वे कोई हठधर्मी विचारक नहीं थे, बल्कि नई परिस्थितियों तथा परिवेश में अपने विचारों में संशोधन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। गांधीजी का मानना था कि उनका ध्येय अपने विचारों को संगत ठहराना नहीं, बल्कि उन्हें नई परिस्थिति और सत्य के अनुसार ढालना है।

गांधीजी की अहिंसात्मक विचारधारा उन्हें शान्ति का एक दूरदर्शी, संवेदनशील व अनुबोधक वक्ता साबित करती है। उन्होंने शान्ति की एक लचीली व गतिशील परिभाषा दी जिसमें शान्ति, भलाई की उपलब्धि का उत्तम साधन तो है, किन्तु एकमात्र नहीं। आधुनिक शान्ति शोधकर्ता, जिन्होंने हिंसा के संरचनात्मक तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विचारों पर अपना योगदान दिया है, गांधीजी के योगदान को शान्ति पर मौलिक शोध मानते हैं। संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा, शोषण के सामाजिक संबंध की उपज है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर गांधीजी के विचारों पर असंगति व अव्यवस्था होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधीजी ने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को एक शक्तिशाली नैतिक प्रवाह दिया तथा विश्व स्तर पर न्याय की बात की। सत्याग्रह में गांधीजी ने युद्ध का एक नैतिक विकल्प दिया। उनका यह विचार कि उत्तरदायी राष्ट्रवाद शान्ति स्थापना में सहायक होता है, शान्तिवाद की परम्परावादी अवधारणा में नए आयाम जोड़ता है। गांधीजी ने अफ्रीका व भारत में स्वयं यह सिद्ध कर दिया कि क्रियाशील शान्तिवाद, समाज में व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक प्रभावकारी शक्ति हो सकता है।

13.7 सारांश

गांधीवादी विचारधारा में आध्यात्मिक व सामाजिक सिद्धान्त, धार्मिक मूल्य व राजनीतिक योजना समायोजित है। राजनीतिक से नैतिक व भौतिकवाद से आध्यात्मिकवाद गांधीजी के विचारों में सर्वोपरि है। उन्होंने पूर्ण सत्य को अमिट ध्येय माना तथा अहिंसा को उसे पाने का उत्तम साधन। यह मानते हुए कि साधन व साध्य को अलग नहीं किया जा सकता, गांधीजी ने अन्याय व शोषण से लड़ने का एक अहिंसात्मक साधन, सत्याग्रह दिया। जैसा कि हमने देखा - सत्याग्रह प्रत्येक परिस्थिति में लागू किया जा सकता है: व्यक्तिगत से समूह संबंध, देशीय से अन्तरदेशीय संबंध, व सूक्ष्म से व्यापक समस्या तक।

गांधीजी का दावा था कि उनका जीवन सत्य एवं अहिंसा की एक कार्यशाला है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी पुनर्व्याख्या आने वाली पारिस्थिति व सत्य के अनुसार की जा सकती है। उनकी तकनीक व व्यक्तिगत उदाहरणों को, आज के अन्तर्राष्ट्रीय समाज के समक्ष अनेक चुनौतियों को सम्बोधित करने में किया जा सकता है। आज मानवता आतंकवाद, मानव अधिकारों का हनन, धार्मिक असहिष्णुता, निर्धनता, पर्यावरणीय विक्षति इत्यादि अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस संदर्भ में गांधीवादी सिद्धान्त, सत्य, प्रेम व अहिंसा पर आधारित विश्व में न्याय व भलाई की उपलब्धि एक व्यावहारिक विचार प्रतीत होता है।

आज के जगत में, जीवन के प्रत्येक स्तर व प्रत्येक क्षेत्र में अभौतिकवादी व अहिंसात्मक विकल्पों पर शोध कार्य चल रहा है। भले ही ये गांधीजी के नाम से न जाना जाएँ, किंतु उन मूल्यों को प्रोत्साहन अवश्य

मिल रहा है जिनके लिए गांधीजी ने अपने जीवन का बलिदान दिया। आज के जगत में गांधीवादी अहिंसा की अवधारणा का महत्व आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहा है। अहिंसात्मक पहल की असफलता को गांधीवादी उपागम की असफलता नहीं कहा जा सकता, बल्कि इससे यह संकेत मिलता है कि हिंसा के जगत में अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग ज्यादा निष्ठापूर्वक करना होगा।

13.8 अभ्यास प्रश्न

1) गांधीजी के युद्ध संबंधी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

2) सत्याग्रह के उद्देश्य व लक्षणों का परीक्षण कीजिए।

3) गांधीजी का अहिंसात्मक उपागम शान्तिवाद से किस प्रकार भिन्न है?

4) अहिंसात्मक राज्यों के लिए गांधीजी द्वारा किन मुख्य कार्यों का सुझाव दिया गया है?

5) परमाणु अस्त्रों पर गांधीजी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

6) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर गांधीजी के क्या विचार हैं?